



उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 09 फाल्गुन, शक संवत्, 1945

(दिनांक : 28 फरवरी, 2024)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "ख")
3. निधन के निदेश।
4. संसदीय कार्य मंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे (खण्ड-1) एवं विनियोग लेखे को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. संसदीय कार्य मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (बी) के अन्तर्गत पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के वित्तीय वर्ष, 2022-23 से सम्बन्धित वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे।
6. संसदीय कार्य मंत्री, आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखण्ड वर्ष, 2023-24 को सदन के पटल पर रखेंगे।
7. सभापति, विशेषाधिकार समिति, उत्तराखण्ड विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (वर्ष 2023-24) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
8. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
9. श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र रुड़की के अन्तर्गत शहर की ट्रैफिक लाईटों के संचालन एवं रख-रखाव किये जाने के सम्बन्ध में" श्री पारस गोयल, 44, सिविल लाईन, रुड़की, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
10. श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र रुड़की के अन्तर्गत हरिद्वार मार्ग सोलानी नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री नरेश यादव, डी0 103, गोल्डन रेजीडेंसी आदर्श नगर, रुड़की जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।)

11. श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य, विधान सभा “जनपद हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र रुड़की के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-99/2021 नेहरू स्टेडियम रुड़की के जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री अमित कुमार पाटिल, 42, आफीसर्स कालोनी पीरबाबा कालोनी रुड़की, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
12. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
13. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
14. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
15. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-“ग”)
16. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
17. पंचायतीराज मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-
“यह सदन ‘भारत का संविधान’ की 11वीं अनुसूची में वर्णित समस्त 29 विषयों को पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने का संकल्प लेता है।”
18. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण :-
“यह सदन मा0 राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2024 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है”
(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी “घ”)
19. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
20. सिंचाई मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय। (10 मिनट)
21. सिंचाई मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।
22. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्वालिफिकेशन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय। (10 मिनट)
23. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्वालिफिकेशन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।
24. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय। (10 मिनट)
25. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।

26. पंचायतीराज मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय। (10 मिनट)
27. पंचायतीराज मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।
28. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
29. उत्तराखण्ड जल संस्थान में न्यूनतम मानदेय प्रतिमाह पर कार्य कर रहे पार्ट टाइम फीटर्स का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में, श्री विक्रम सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, पेयजल मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
30. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर के अन्तर्गत ग्राम रावली महदूद व नगर पालिका शिवालिक नगर की सीमा स्थित नाले पर अतिक्रमण के चलते व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में” श्री आदेश चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नगर विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

देहरादून :
दिनांक : 27 फरवरी, 2024

आज्ञा से,

(हिम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा),
कृते सचिव।



प्रथम सत्र, 2024
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 09 फाल्गुन, शक संवत्, 1945

(दिनांक : 28 फरवरी, 2024)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार
20.02.2024

****क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2022-23 व वर्ष 2023-24 में जनपदवार नन्दा गौरा योजना के पात्र लाभार्थियों के कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ? क्या सरकार बतायेगी कि प्राप्त आवेदनों का भुगतान पात्र लाभार्थियों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत किस-किस अवधि में पात्र लाभार्थियों को कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान उनके द्वारा खोले गये खातों में किया गया है अथवा किया जाता है ? क्या सरकार अवगत हैं कि नन्दा गौरा योजना में आवेदन प्रपत्र पूर्ण किये जाने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है और जटिलता के कारण कई पात्र लाभार्थियों के आवेदन पत्र निरस्त हो रहे हैं ? क्या सरकार इस योजना के आवेदन पत्रों की प्रक्रिया का सरलीकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?**

महिला सशक्तिकरण
व बाल विकास

श्री भुवन चन्द्र कापड़ी
20.02.2024

****क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अधीन साहसिक पर्यटन विंग के अन्तर्गत संविदा में कार्यरत विषय विशेषज्ञों की पूर्व निर्धारित योग्यताओं/न्यूनतम अर्हताओं की तुलना में नयी योग्यताओं/न्यूनतम अर्हताओं के स्तर को परिवर्तित किया गया है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन पदों हेतु 09 फरवरी, 2024 को पत्रांक 7923/2-2-557/2023-2024 में विज्ञापित, योग्यताएं/न्यूनतम अर्हताएं देश में उपलब्ध मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे मान्यता प्राप्त कोर्स के अनुसार रखी गई है ? यदि हां, तो मंत्री जी थल/जल/वायु क्रीड़ा गतिविधियों की सम्पूर्ण सूची व इन गतिविधियों में मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा उपलब्ध कोर्स का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?**

पर्यटन

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

डॉ० प्रमोद नैनवाल
13.02.2024

*1. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में अभी भी अधिकांश गरीब परिवारों के राशन कार्ड में उनके यूनिट ऑनलाईन दर्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कई परिवारों को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार कब तक पर्वतीय जनपदों के सभी राशन कार्ड धारकों के यूनिट उनके राशन कार्ड में अंकित करके उनको सरकारी योजना से लाभान्वित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले

डॉ० प्रमोद नैनवाल
13.02.2024

*2. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में बालिकाओं को मिलने वाली कन्याधन योजना का फार्म वर्तमान में अत्यधिक जटिल बना दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त योजना से लाभान्वित होने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को लगभग 22 प्रपत्र अपलोड करने पड़ रहे हैं, जिससे कई छात्राओं को उक्त योजना का लाभ लेने से वंचित रहना पड़ रहा है ? यदि हां, तो जनहित में कब तक उक्त जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण
एवं बाल विकास

श्री फुरकान अहमद
13.02.2023

*3. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के अन्तर्गत इमलीखेड़ा धर्मपुर तथा मेहवड़ कला में स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार मिनी स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्री बृजभूषण गैरोला
14.02.2024

*4. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों मंत्री अवगत है कि पिछले छः माह से अधिक समय से सफेद राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बन्द है ? क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के अन्तर्गत आने वाले प्रदेश के कई परिवार राशन कार्ड न बनने के कारण राशन से वंचित हैं ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सफेद कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है ? क्या सरकार वंचित रह गये कार्ड धारकों का सफेद राशन कार्ड बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक
आपूर्ति एवं उपभोक्ता
मामलों

श्री सुमित हृदयेश
15.02.2024

*5. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत राज्य में कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है और इससे कितनी महिलाओं को लाभ मिला है ? क्या सरकार उपरोक्त योजनाओं की उपलब्धियां एवं योजनाओं का नाम सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण
एवं बाल विकास

श्रीमती ममता राकेश
15.02.2024

*6. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अवगत हैं कि नन्दा गौरा योजना जो डब्ल्यू0ई0सी0डी0 के माध्यम से संचालित गरीब वर्ग से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है ? क्या यह सत्य है कि जनपद हरिद्वार में उक्त योजना के तहत 193 ऐसे लाभान्वित पाये गये, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनाये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में पकड़े गये फर्जी आवेदन करने वालों एवं उनके साथ संलिप्त अधिकारी/कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण
एवं बाल विकास

श्री सुमित हृदयेश
15.02.2024

*7. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी के समीप नव निर्मित स्टेडियम में किन-किन खेलों की सुविधा दी जा रही है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त स्टेडियम में सरकार द्वारा कितने खेलों का राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर एवं जनपद स्तर पर आयोजन किया गया और इसमें कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल

अतारांकित प्रश्न

डॉ०प्रमोद नैनवाल
13.02.2024

1. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में विधानसभा वार कुल कितने मिनी स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की गई है ? क्या यह सत्य है कि मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण में विधायकों की भी संस्तुति/सहमति ली गई थी ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में मिनी खेल स्टेडियम निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्री सुमित हृदयेश
15.02.2024

2. क्या खेल मंत्री अगवत हैं कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी के समीप अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट के आयोजनों हेतु बनाया गया था ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक उक्त स्टेडियम में कितनी जनपद स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल

श्री उमेश कुमार
16.02.2024

3. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायक कार्यकत्रियों के मानदेय को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण
एवं बाल विकास

नत्थी "ग"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 2024 की बैठक में दिनांक 28 फरवरी, 2024 से दिनांक 01 मार्च, 2024 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

फरवरी, 2024

28 (बुधवार)

1. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार एवं पारण (10 मिनट)
2. उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए कैतिज आरक्षण) विधेयक, 2024 पर विचार एवं पारण (10 मिनट)
3. उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार एवं पारण (10 मिनट)
4. उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार एवं पारण (10 मिनट)

29 (गुरुवार)

1. उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986} (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार एवं पारण (10 मिनट)
2. विभागावार अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं मतदान।

अनुदान संख्या:	05	निर्वाचन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	08	आबकारी विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	18	सहकारिता विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	20	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	26	पर्यटन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	29	औद्योगिक एवं रेशम विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, कला एवं संस्कृति विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	27	वन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

- 13 जलापूर्ति, शहरी विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 24 परिवहन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 31 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 16 श्रम और रोजगार, आवास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- : 15 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
- 25 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

मार्च, 2024

01 शुक्रवार

- अनुदान संख्या: 01 विधान सभा के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —विवाद नहीं होगा।
- 02 मा0 राज्यपाल के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —तदैव—
- 03 मंत्रिपरिषद् के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —तदैव—
- 04 न्याय प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —तदैव—
- 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 09 लोक सेवा आयोग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —विवाद नहीं होगा।
- 10 पुलिस एवं जेल विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 14 सूचना विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 19 ग्राम्य विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 21 ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 22 लोक निर्माण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 23 उद्योग विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

असरकारी कार्य।

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतिकरण

1. श्री मनोज तिवारी, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अल्मोड़ा नगर के प्रतिष्ठित डाक्टर एवं समाजसेवी डा० गजेन्द्र थापा जी की स्मृति में मेडिकल कालेज अल्मोड़ा के किसी एक भवन का नाम उनके नाम पर रखा जाय।
2. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत बग्गा चौबन को घोषित किया जाय।
3. श्री संजय डोभाल, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत ग्राम सभा पाली में अठोड़ मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाय।
4. श्री विक्रम सिंह नेगी, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रसिद्ध सेम मुखेम नागराजा मेला को राजकीय मेला घोषित किया जाय।
5. श्री प्रदीप बत्रा, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि नगर निगम क्षेत्र रुड़की में कूड़े आदि से बिजली बनाने वाला संयंत्र लम्बे समय से बन्द अवस्था में पड़ा है जिससे संयंत्र के पास कूड़े का पहाड़ बन गया है, जो गम्भीर समस्या एवं चिंता का विषय है। अतः उक्त संयंत्र को जनहित में सुचारु रूप से चलाया जाय।

1. श्री महेश जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे प्रत्येक गाँव/तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।”

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में राशन कार्डों को जमा कराये जाने से पूर्व प्रत्येक परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाय।”

3. श्री उमेश कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।”

4. श्री संजय डोभाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के नगरीय क्षेत्रों चिन्यालीसौड़ व बड़कोट की विकट पेयजल समस्या का निदान किया जाय।”

5. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ववती सरकार द्वारा सन् 2016 में लालढांग में घोषित उप तहसील की स्थापना की जाय।”

6. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि नई दिल्ली में निर्मित नवीन संसद भवन के मुख्य भवन का नामकरण संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर के नाम तथा उसके अन्तर्गत आने वाले प्रासादों (परिसर) का नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाय।”

7. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए प्रत्येक विधान सभा में गौशालाओं की स्थापना की जाय।”

नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण

1. प्रदीप बत्रा, यह सदन प्रस्ताव करता है कि रुड़की शहर में ए0डी0बी0 द्वारा कराये गये सीवर संबंधित कार्यों की जांच किसी स्वतंत्र एजेन्सी से कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।
2. श्री महेश जीना, यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों की बंजर कृषि भूमि को सहकारिता के माध्यम से पुनः कृषि योग्य बनाया जाय, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को भी स्थिर किया जा सके।”
3. श्री विक्रम सिंह नेगी, यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक और विशिष्ट सांस्कृतिक तथा धार्मिक परिस्थिति के मध्यनजर, इस क्षेत्र को संविधान की अनुसूची-5 (शेड्यूल) में शामिल करने हेतु भारत सरकार से संस्तुति की जाय।”

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छाम (कण्डीसौड़) व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थतयूड़ (जौनपुर) में सभी आवश्यक सुविधायें चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।”

2. श्री उमेश कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।”

3. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डॉ० भीमराव अम्बेडकर के नाम पर “डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधान सभा भवन” कर दिया जाय।”

4. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजकीय सेवाओं में आउट सोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओ०बी०सी० लोगों को आउट सोर्सिंग के पदों पर आरक्षण का लाभ दिया जाय।”

शेष कार्यक्रम यथावत्।



नत्थी “घ”

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

क्रम सं० प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री यशपाल आर्य
मा० नेता प्रतिपक्ष

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था यथा चोरी, डकैती, महिला अपहरण, बलात्कार, हत्या जैसे मामलों में हो रही लगातार बढ़ोत्तरी को रोक जाने,
2. सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोके जाने,
3. राज्य की विभिन्न सेवाओं एवं संवर्गों की भर्ती के समय एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. वर्गों के लिये संविधान सम्मत आरक्षण का जो प्रतिशत रखा गया है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, उसका पालन किये जाने,
4. राज्य के बेरोजगारों हेतु रोजगार सृजन एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने,
5. राज्य में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के चिकित्सालयों में स्पेशलिस्ट डाक्टरों की तैनाती किये जाने,
6. प्रदेश में एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. के पदों को बैकलॉग से भरे जाने,
7. प्रदेश के पर्वतीय एवं मैदानी जनपदों में सड़कों की बदहाल स्थिति को ठीक करने,
8. पर्वतीय एवं मैदानी जनपदों में स्थित अस्पतालों में चिकित्सक एवं टैक्निशियन के रिक्त पदों को भरने एवं चिकित्सालयों में चिकित्सीय उपकरण स्थापित किये जाने,
9. प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के सभी रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने,
10. राज्य में निरंतर बढ़ रहे कर्ज के बोझ को कम किये जाने।
11. उर्जा प्रदेश में बिजली कटौती को कम किये जाने।

12. प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में भीषण पेयजल संकट को दूर करने,
13. प्रदेश में स्थापित उद्योगों में राज्य के बेरोजगारों युवक-युवतियों को 75 प्रतिशत रोजगार देने हेतु कानून बनाने,
14. प्रदेश में सशक्त भू-कानून बनाये जाने।
15. हिमाचल प्रदेश की भांति उत्तराखण्ड प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल किये जाने,
16. प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ब्लॉक स्तर पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराये जाने,
17. प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निर्धन छात्र-छात्राओं हेतु हास्टल निर्मित किये जाने,
18. बाजपुर के अन्तर्गत 20 गांवों के भूमि की समस्या के निदान किये जाने,
19. बाजपुर विधान सभा के अन्तर्गत जी.एन.एम. कॉलेज में कक्षाएँ संचालित न होने के सम्बन्ध में,
20. चीनी मिल बाजपुर स्थित आसवानी के आधुनिकीकरण किये जाने,
21. आदिम जनजाति बुक्सा के विकास हेतु कोई नई योजना लाये जाने,
22. बाजपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने,
23. बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी पालीटेक्निक में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में,
24. विधान सभा क्षेत्र बाजपुर के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में व्याप्त अनियमितताओं को ठीक किये जाने,
25. चीनी मिल बाजपुर में मृतक आश्रितों को लम्बे समय से नियुक्ति न दिये जाने।

2. श्री प्रीतम सिंह

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. कालसी-सहिया मोटर मार्ग के जजरेड में पुल या टनल का निर्माण किये जाने,
2. प्रदेश में रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने,

3. स्वच्छता अभियान के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति का निर्धारण किये जाने,
4. महिलाओं को सुरक्षित रूप से यात्रा, आधी रात में निकलने पर उन्हें कोई भय न हो, इस सम्बन्ध में कोई नीति घोषित किये जाने,
5. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
6. विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को खड़ा करने के लिए अवस्थापना विकास का कोई ढांचा बनाये जाने,
7. ग्राम-फनार से ग्राम-भूठ मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
8. ग्राम-किस्तुड मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
9. उत्तराखण्ड की राजधानी के संबंध में कोई ठोस कदम उठाये जाने तथा राजधानी सभा आधुनिकतम व्यवस्थाओं से युक्त हो इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति घोषित किये जाने,
10. चार-धाम यात्रा पूरे वर्ष चलाने, यात्रायें सुरक्षित करने श्रद्धालुओं को सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराने और प्रदेश की आर्थिकी बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
11. आपदा के दौरान जो क्षेत्र बर्बाद हुए थे उन्हें पुनः बसाने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित किये जाने,
12. आपदा के दौरान जो गांव खाली हो चुके हैं उनके पुनर्वास के संबंध में कोई नीति बनाये जाने,
13. नदियों की सफाई, नदियों के किनारे सौन्दर्यीकरण तथा नदियों के समस्त क्षेत्रों का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में कोई नीति बनाये जाने,
14. जो जल स्रोत सूख चुके हैं उनको रिचार्ज करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
15. पत्रकारों को आवासीय सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई ठोस नीति बनाये जाने,
16. बी0पी0एल0 वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क एम0आर0आई0 तथा डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

17. विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को खड़ा करने के लिए अवस्थापना विकास का कोई ढांचा बनाये जाने,
18. प्रदेश के नये जनपदों के गठन की कार्यवाही तत्काल किये जाने,
19. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत कालसी, साहिया, चकराता एवं त्यूनी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
20. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत बिन्सौण में स्वीकृत आश्रम पद्धति विद्यालय के अधूरे भवन को तत्काल पूर्ण किये जाने,
21. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत त्यूनी-कथियान अधूरे का बी० एम० एच० डी० बी० सी० से डामरीकरण किये जाने,
22. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत इन्टर कालेज मुन्धौल, केराड़, खरोड़ा, बिन्सौण, काण्डोई भरम, ग्यासपुल, कोरुव एवं मुन्धान के भवनों का निर्माण किये जाने,
23. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत साहिया में स्वीकृत पालिटेक्निक में अन्य ट्रेड तत्काल प्रारम्भ किये जाने,
24. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत हनोल-त्यूनी, त्यूनी-आरोकोट, त्यूनी-प्लासू जलविद्युत परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से शुरू किये जाने,
25. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम कोटी, ईच्छाड़ी में अस्पताल का निर्माण किये जाने,
26. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत लखवाड, पंजीटीलानी, कथियान व कुरोली में स्वीकृत आई०टी०आई० तत्काल इसी सत्र में प्रारम्भ किये जाने,
27. ग्राम-सुनीर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
28. ग्राम-पुनाह पोखरी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
29. ग्राम-त्यूना मंगटाड मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
30. ग्राम-निनूस मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
31. ग्राम-पेनुवा मोटर मार्ग का विस्तार किये जाने,
32. ग्राम-मशक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
33. ग्राम-चान्जोई के नीचे टैन्स नदी पर मोटर पुल का निर्माण किये जाने,
34. ग्राम-हिवांई मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

35. मीसस-अटल मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
36. ककनाई-दौहा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
37. दावापुल मिण्डाल-खारसी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
38. क्वांसी-जोगियो मोटर मार्ग का डामरीकरण,
39. कथियान-मुन्डाली मोटर मार्ग का निर्माण,
40. डांगुठा-पुरोला मोटर मार्ग का निर्माण,
41. त्यूनी-चांदनी मोटर मार्ग का डामरीकरण,
42. ग्राम-भगवत मोटर मार्ग का निर्माण,
43. ग्राम-बायला-सैज मोटर मार्ग का निर्माण,
44. लालपुल-बिसोई मोटर मार्ग का डामरीकरण,
45. निथला-बिसोई से रिखाड़ टुंगरा मोटर मार्ग का डामरीकरण।

3. श्रीमती ममता राकेश

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए धन आवंटन किये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में टान्सपोर्ट नगर का निर्माण किये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में महिला पालिटेक्निक खोले जाने,
4. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में ग्राम वह वहलपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर ग्राम चुड़ियाला मोहनपुर में स्थापित बाबू कलीराम राकेश डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर की कक्षाओं को संचालित किये जाने,
6. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर में सी0एच0सी0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की स्थाई रूप में नियुक्ति किये जाने,
7. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में एक स्पोर्ट कालेज व स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में गौशाला खोले जाने,

9. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंगल समस्या को देखते हुए मोबाईल टावर लगाये जाने,
10. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में स्व० सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण के लिए धन आवंटित व अध्यापकों की स्थाई नियुक्ति किये जाने एवं प्रत्येक ग्राम में जिम सेन्टर बनाये जाने,
11. जनपद हरिद्वार के किसानों का बकाया भुगतान किये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में डाक्टर भीम राव अम्बेडकर, संत श्री रविदास और महर्षि वाल्मिकी पार्कों के सौन्दर्यकरण किये जाने,
13. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति उपयोजना धनराशि स्वीकृत कराये जाने व उसका उपयोग अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में किये जाने,
14. राज्य विधवा महिलाओं का उपचार निःशुल्क किये जाने,
15. राज्य में विधवा महिलाओं के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आय प्रमाण की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने,
16. राज्य में परित्यक्ता योजना में अनाथ/बेसहारा बच्चे जो विस्तारित कुटुम्ब के साथ रह रहे हैं, अशक्त तथा गम्भीर रोग के ग्रसित सजायाफता माता-पिता की सन्तान, विधवा /तलकाशुदा स्त्री, परित्यक्ता, कुटुम्ब द्वारा परित्यक्त महिलाओं के बालक/बालिकाओं को आर्थिक सहायता के रूप शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु दो हजार रुपये प्रतिमाह में बच्चों के आय मानक समाप्त किये जाने,
17. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में शमशान घाट एवं कब्रिस्तान की चाहरदीवारी तथा प्रत्येक शमशान घाट में छत्री व कब्रिस्तान में जनाजा कक्ष तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध किये जाने,
18. शमशान घाटों का सौन्दर्यीकरण किये जाने,
19. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में एक वाटर ए०टी०एम० लगाये जाने,

20. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा के प्रत्येक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त भवन, शौचालय बालक व बालिका व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने व चारदीवारी कराया जाय,
21. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण किये जाने,
22. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा के 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति के ग्रामों का चयन किये जाने,
23. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसानों का बिजली बिल माफ किये जाने,
24. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों व समस्त पुलिया का पुनर्निर्माण बरसात के पहले अतिशीघ्र कराये जाने,
25. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकनगुनियां, डेंगू एवं मच्छरों से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
26. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने तथा वर्किंग वुमैन के लिए हास्टल का निर्माण कराये जाने,
27. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में योग केन्द्र खोले जाने,
28. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
29. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में खेल के मैदान का निर्माण कराये जाने,
30. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में अन्तर्गत तालाबों को सौन्दर्यकरण एवं चारों ओर रैलिंग की व्यवस्था कराये जाने,
31. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज छपुर् शेर् अफगानपुर में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने,

32. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सभी गांव में सरकारी सेवाओं की तैयारियों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेण्टरों की स्थापना किये जाने,
33. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आने-जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कराये जाने,
34. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि एवं दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त किसानों की फसलों का मुआवजा दिये जाने,
35. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु नलकूपों का निर्माण एवं रिबोर किये जाने,
36. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आन्तरिक मार्गों की मरम्मत एवं जल निकासी के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाये जाने,
37. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इंजीनियरिंग एवं बी०एससी० के अन्तर्गत जाति अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को लैपटाप उपलब्ध कराये जाने,
38. भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में महिला हास्टल का निर्माण किये जाने,
39. भगवानपुर में बाबू जग जीवन आवासीय हास्टल का निर्माण किये जाने।

4. श्री आदेश सिंह चौहान

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जसपुर में रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थापना किये जाने,
2. नादेही शुगर मिल का नवीनीकरण तथा एथेनाल प्लांट की स्थापना किये जाने,
3. जसपुर में पालिटेक्निक कालेज की स्थापना किये जाने,
4. नगर पालिका जसपुर में स्टेडियम तथा ग्राम करनपुर में मिनी स्टेडियम की स्थापना किये जाने,
5. ग्राम हजीरो में फीका नदी पर पुल का निर्माण किये जाने,
6. तीर्थनगर डाम क्षेत्र में राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,

7. ग्राम किशनपुर में फीका नदी का तटबन्ध और ग्राम बैतवाला व बगवाड़ा में ढेला नदी का तटबन्ध बनाये जाने,
8. जसपुर में एन0एच0 से एम0पी0 सिंह नर्सिंग होम के सामने नगर की सड़क का निर्माण किये जाने,
9. जिम कार्बेट पार्क का एक आवागमन द्वारा जसपुर से पमरामपुर रेन्ज खोले जाने,
10. जसपुर में तीर्थनगर मंदिर और तुमड़िया डाम का सौन्दर्यीकरण किये जाने,
11. जसपुर विधान सभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण किये जाने,
12. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे तहसील भवन को पूर्ण किये जाने,
13. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में उप-जिलाधिकारी भवन निर्माण किया जाय,
14. जसपुर विधान सभा क्षेत्र सरकारी स्कूलों के क्षतिग्रस्त भवनों को निर्माण किये जाने,
15. जसपुर नगर पालिका में सीवर लाईन की व्यवस्था किये जाने,
16. जसपुर नगर पालिका में पेयजल व्यवस्था को ठीक किये जाने व पेयजल व्यवस्था का द्वितीय फेज आरम्भ किये जाने तथा,
17. विधान सभा क्षेत्र जसपुर के ग्राम सीपका वासियों को उनकी कृषि भूमि पर मालिकाना हक दिये जाने,
18. विधानसभा क्षेत्र जसपुर में सिविल न्यायालय भवन का निर्माण।

5. श्री भुवन कापड़ी

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. सीमांत विधान सभा में सरकारी भूमि में निवासरत लोगों की पूर्वजों द्वारा मेहनत कर बंजर भूमि को कृषि योग्य एवं आवास योग्य बनाया गया है जिससे उक्त भूमि सदुपयोग हो सकी ऐसे उक्त सरकारी भूमि पर निवासरत/कब्जा धारकों को भूमि मालिकाना हक दिये जाने,

2. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा पुरानी तहसील परिषद में बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जन कल्याण समिति खटीमा को भूमि का आवंटन किया गया था जिसको बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया। उक्त भूमि आवंटन पुनः बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जन समिति कल्याण को किये जाने,
3. उत्तराखण्ड की भौगोलिक सीमाओं को अन्दर निवासरत ऐसे परिवार को जो कि उत्तराखण्ड बनाने के समय से स्थायी रूप से निवासरत है। जो जाति प्रमाण पत्र कट आफ डेट में छूट प्रदान कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था तत्काल प्रभावी किये जाने,
4. उत्तराखण्ड में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल पर सबसिटी प्रदान की जाये जाने उत्तराखण्ड के लोगों को कम दामों पर गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल मिल सके,
5. राशन कार्ड आनलाईन होने की दिक्कतों के कारण अनेक परिवारों के पुराने राशन कार्ड आनलाईन नहीं हो पाये हैं, उक्त पुराने राशन कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुचारु किये जाने,
6. 70 खटीमा विधान सभा अनुसूचित जाति/अनु०जन बाहुल्य विधान सभा है और उसके साथ-साथ सीमांत विधान सभा होने के कारण 70 खटीमा में अनुसूचित जन जाति विकास, अनु०जन०जाति विकास एवं बार्डर डेव्लपमेन्ट योजन के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था कर विकास कार्यों प्रारम्भ किये जाने,
7. सक्रिय राज्य आन्दोलन कार्यों चिन्हीकरण के दौरान लम्बित 254 आन्दोलन कार्यों को तत्काल परिचय पत्र जारी कर उनको पेंशन की सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने,
8. ग्राम बन्धा-54 को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,
9. अल्पसंख्यक भौगोलिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कल्याण नीति से विकास कार्य करवाये जाने,
10. महाविद्यालय खटीमा विभिन्न विषयों पर सीटें बढ़ाई जाय एवं महाविद्यालय में पूर्व की भाति प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था को लागू किये जाने जिससे कि गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके,

11. खटीमा विधान सभा के अन्तर्गत सरकारी गेहूँ तोल केन्द्रों पर तोल प्रारम्भ कार्यवाही करवाई जाने एवं तोल केन्द्रों पर सी0सी0टी0कैमरों की व्यवस्था एवं किसानों की फसल के मूल्य का भुगतान 02 दिन के अन्तर्गत किये जाने,
12. किसानों को गन्ने के बकाया पैसों का तत्काल भुगतान किये जाने,
13. गौशाला के निर्माण तत्काल पूर्ण करवाये जाने जिससे कि किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सकें,
14. अधोषित विद्युत कटौती की तत्काल बंद कर बिजली के दामों को कम किये जाने जिससे उत्तराखण्ड में निवासरत लोगों को राहत मिल सके,
15. राजकीय पालीटैक्निक खटीमा विषय की सीटें बढ़ाई जाये,
16. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण/निर्माण कराये जाने,
17. नगरीय क्षेत्र में आवादी के मध्य गुजर रही हाईटेशन लेनों को मैन रोड़ों पर स्थानान्तरण किये जाने एवं गलियों में छोटा ट्रांसफार्मर लगा कर विद्युत आपूर्ति किये जाने,
18. नगर खटीमा के लीज नवीनीकरण/लीज दाखिल खारिज लीज विरासतन की प्रक्रिया सरलीकरण किया जाय एवं लीज संबंधी समस्त प्रकार के कार्यों उपस्थिति उप जिलाधिकारी स्तर पर की पूर्ण कराई जाये,
19. खटीमा शहर में सीवर लाईन का निर्माण कार्य कराया जाय,
20. राजकीय महाविद्यालय खटीमा में रोजगारपरक विषयों को प्रारम्भ किये जाने,
21. नगरपालिका परिषद खटीमा के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण/निर्माण कराये जाने,
22. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत नलकूपों की स्थापना किये जाने,
23. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत 2000 हैण्ड पम्पों को लगवाये जाने,
24. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत महिलाओं के लिए पालीटैक्निक खोले जाने,
25. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत बाढ़ से बचाव के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर तत्काल कार्य प्रभाव प्रारम्भ करवाये जाने,

26. नगर पालिका परिषद को कुड़ा कलैक्शन के लिए 20 छोटे वाहन उपलब्ध कराये जाने,
27. नगर खटीमा में टचिंग ग्राउण्ड को तत्काल प्रारम्भ कराये जाने,
28. कूड़े के निस्तारण के लिए रिसाईकलिंग प्लान्ट लगाये जाने,
29. खटीमा के गरीब वर्ग के अनु0जाति,/अनु0जनजाति/सामान्य वर्ग/पि0जाति के गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग खोले जाने,
30. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत व खत्तों वन में रहने वाले परिवार का पुर्नवास कर उनके लिए आवास फ्री शिक्षा व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाये जाने,
31. शहर खटीमा में प्रत्येक घर में निशुल्क जल संयोजन दिलवाये जाने,
32. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत मच्छरों के प्रकोप चिकनगुनिया डेंगू मच्छरों से निजात पाने के लिए उचित कार्यवाही किये जाने,
33. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में लम्बित निर्माण कार्य विकास कार्यों को तत्काल पूर्ण करवाये जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष को निर्देशित कर कार्य को तत्काल पूर्ण करने का आदेश किये जाने,
34. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भर जाने,
35. विधान सभा खटीमा के जिला स्तर के विभिन्न कार्यों में प्रत्येक सप्ताह खटीमा में कैम्प लगाकर पूर्ण करवाये जाने,
36. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत दूरस्थ ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में तत्काल ए0एन0एम0 सेन्टर खोले जाने,
37. राज्य में विधवा/वृद्धा/विकलांग पेंशन के लिए आय का मानक 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपये किये जाने,
38. विधान सभा खटीमा के स्थित बाढ़ के समय के बढ़ते जलस्तर को रोकने व मिट्टी कटाव को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाये जाकर कार्य प्रारम्भ किये जाने,
39. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत स्थित मंदिरों की चार दीवारी एवं मंदिरों में सौन्दर्यीकरण किये जाने,
40. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत सितारगंज रोड़ से जरासू प्रतापपुर जाने वाली मैन रोड का नाम गुरु तेगबहादुर रखे जाने हेतु संबंधित विभाग को कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव मागा जाए। एवं रोड़ का नाम गुरुतेगबहादुर रोड़ रखे जाने,

41. नगर सीमा के अन्दर निवासरत भूतपूर्व सैनिक शहीद उत्तराखण्ड आन्दोलन के परिजन सहित सैनिक राज्य आन्दोलनकारी के परिवार पर लगने वाले गृह कर पूर्णतया समाप्त किये जाने,
42. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत स्थित रा0प्रा0वि0 एवं विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों को रिक्त पद एवं उक्त विद्यालयों में शौचालयों में पीने के लिए स्वच्छ पानी आदि की व्यवस्था कर प्रत्येक विद्यालय में प्राप्त भवनों का निर्माण करवाये जाने,
43. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत गरीब परिवारों का बिजली का बिल माफ किये जाने,
44. नागरिक चिकित्सालय खटीमा में पार्किंग शुल्क समाप्त किये जाने,
45. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत पहैनिया टोल प्लाजा खटीमा के लोगों को टोल फ्री में मुक्त किये जाने,
46. विधान सभा खटीमा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराये जाने,
47. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के नाम पर उनके गांव की रोड़ का नाम उनके नाम पर रखे जाकर उक्त गांव में विशेष कार्ययोजना बनाकर विकास कार्य करवाये जाने,
48. माँ पूर्णागिरी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिये रैन बसेरे का निर्माण करवाये जाने।
49. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करवाये जाने,
50. वन चेतना मैदान में स्वीकृति स्टेडियम को तत्काल प्रारम्भ किये जाने,
51. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत भारतीय सेना की तैयारी कर रहे युवकों के लिए न्याय पंचायत स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने,
52. विधान सभा खटीमा में केन्द्रपोषित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रारम्भ करवाये जाने।

6. श्री हरीश सिंह

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. धापा से साईंपोलो, गिनीबैण्ड से गिनीगांव, जोशा से गांधी नगर, वल्थी से बाता उम डांडा, वमन गांव से सेमली, खुलीबैण्ड से सरमोला, बांसबगड़ से पोखरी, क्वीटी से मोहरम, सेलचामी से जखी, सेलमाली से एस0सी0 बस्ती दाखिम कुरवा, सेरा से सिलिंग खरतोली, दारमा से आलम, भवानी से घोड़ी मनकोट, चामी से मेलली कनार, लुमती से मल्ला लुमती, बरमबोगई से पातल, बलवाकोट से पोखरी, बलवाकोट से कांडा, बलवाकोट से थोड़ालेक, गलाती से कटौचिया, दरतेजम से यलदौंग, नारायण आश्रम से पस्ती, सिरदांग से रूंग, नापड़ से नौड़ा सड़कों का निर्माण किये जाने,
2. राजकीय इंटर कालेज डोर, नाचनी, बगीचाबगड़, जोषा, उछेती, विरथी, पन्द्रपाला, बांसबगड़, मुनस्यारी, खतेड़ा, भैंसकोट के भवन निर्माण किये जाने,
3. बालिका इंटर कालेज, नमजला, धारचूला, बीनाधार के भवन निर्माण किये जाने,
4. इंटर कालेज पय्यापोडी, स्याकुरी, खेत, जयकोट, मातम कैलाश, पंगला, पांगू का भवन निर्माण किये जाने,
5. माध्यमिक विद्यालय दर का निर्माण किये जाने,
6. जूनियर हाईस्कूल नामिक के भवन निर्माण किये जाने,
7. तहसील भवन बंगापानी, तेजम के भवन निर्माण किये जाने।
8. पं0 नैन सिंह, बलाती साहसिक पर्यटन भवन के अधूरे भवन का निर्माण कार्य किये जाने,
9. मुनस्यारी से खलियाटाप रोपवे का निर्माण किया जाने,
10. ओम पर्वत से आदि कैलाश, होकरा देवी, भराड़ी और छिपला कोट को चारधाम योजना के तहत जोड़े जाने,
11. ओम पर्वत से आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी, भराड़ी में पैदल रास्तों में पेयजल व्यवस्था, यात्री हट के निर्माण किये जाने,

12. आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी एवं भराड़ी में नमामि गंगे की तर्ज पर स्नान घाटों का निर्माण किये जाने,
13. दारमा, चौदास, व्यास मल्ला जौहार व रालम क्षेत्र को पैदल, पेयजल, व मोबाईल सेवा से जोड़े जाने उक्त में छः माह राशन सरकारी रेट पर अवमुक्त करने एवं छः माह निःशुल्क हैली सेवा उपलब्ध कराये जाने,
14. धारचूला मुनस्यारी के समस्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने एवं प्रदेश के समस्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर एस0एस0बी0 प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को नियुक्ति दिये जाने,
15. पशु चिकित्सालय केन्द्रों में पशु एवं पशुधन अधिकारी की नियुक्ति किया जाने,
16. विधानसभा धारचूला के समस्त अस्पतालों में चिकित्सक (पुरुष/महिला), फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 की नियुक्ति किये जाने,
17. विधान सभा धारचूला के समस्त क्षेत्रों को मोबाईल नेटवर्क से जोड़े जाने,
18. बंगापानी व तेजम तहसील में स्थाई तहसीलदारों की नियुक्ति किये जाने,
19. धारचूला, मुनस्यारी के समस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त किये जाने,
20. तल्ला छरछूम से मल्ला छरछूम, चामी, लुंग्ती, छोड़ीबगड़, शेराघाट, मदकोट, सिरमोला, नाचनी, तेजम, बांसबगड़, दानीबगड़, बिखोरिया, धारचूला टाउन में आर्मी कैम्प में तटबन्ध निर्माण किये जाने,
21. मुनस्यारी के खलियाटाप में औली की तर्ज पर स्केटिंग को बढ़ाया देने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने,
22. दारमा क्षेत्र के पंचाचुली बेस कैम्प में होम स्टे योजना आरम्भ किये जाने,
23. वर्ष 2018-19 की आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा व पुनर्निर्माण कार्य किये जाने,

24. लम्बित विद्युत परियोजना, एन0एच0पी0सी0, टी0 एच0 डी0सी0, एन0टी0पी0सी0 को पूर्ण किये जाने,
25. धारचूला के दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों को अतिरिक्त हाई एटिट्यूट भत्ता एवं उनके परिजनों को शहरी क्षेत्र में आवास सुविधा प्रदान किये जाने,
26. गूंजी, दारमा, चौदास, रालम, चौहान क्षेत्र में नियुक्त पुलिस के जवानों को सेना की तरह अतिरिक्त भत्ते दिये जाने,
27. मुनस्यारी में मिनी टैक्सटाइल पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,
28. नगर पालिका धारचूला में ग्वाल गांव को सीवर लाईन से जोड़े जाने,
29. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पोखरी सड़क का निर्माण किये जाने,
30. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कांडा बलुवाकोट सड़क का निर्माण किये जाने,
31. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट भोड़ा लेक सड़क का निर्माण किये जाने,
32. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में धारचूला से राँभी सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
33. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पय्यापौड़ी सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
34. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कन्जोती से सुवा तक सड़क का निर्माण किये जाने,
35. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती तक सड़क का निर्माण किये जाने,
36. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बरम से कनार तक सड़क का निर्माण किये जाने,
37. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में चामी, मतली, खेतीखान, देवलेख, थरपटा सड़कों के निर्माण किये जाने,
38. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लुमती से धरुड़ी मनकोट, बथोला तक सड़क का निर्माण किये जाने,

39. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सैरा से सिंलिंग खड़तोली सड़क का निर्माण किये जाने,
40. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में आलम दारमा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
41. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भवानी से मदरपा होते हुए धामी गांव तक सड़क का निर्माण किये जाने,
42. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सेराघात से गोल्फा बोना मोटर मार्ग में पुलों के निर्माण किये जाने,
43. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में दानीबगड़ में टांगा, भिकरिया के लिए पुलों का निर्माण किये जाने,
44. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में फापा से उच्छैती तक सड़क निर्माण किये जाने,
45. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में उच्छैती से ढिमढिमिया मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
46. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में क्वीरीथिमिपा साईपोलो, साईधुत तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
47. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
48. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बल्थी से वाता उमडाणा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
49. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मदकोट से रोपाइ तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
50. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में रिंपू ग्राम सथा में ओखली और स्पलतिंग सड़क का निर्माण कार्य किये जाने,
51. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मानीटुण्डी में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
52. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भदेली से मल्ला भदेली सड़क मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
53. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में चौना मालपाती भराड़ी मंदिर पापड़ी मोटर मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
54. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में गिनीबैण्ड से गिनीगांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

55. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बिरथी से दाफा सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
56. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सैरगामी से बरथी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
57. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में क्वीटी से सैमली सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
58. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में डोर से रुइसपाता सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
59. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तेजम से नोटगांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
60. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैसकोट से छेतगाड़ी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
61. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैसकोट से दुधधड़ तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
62. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैसकोट से बसानी तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
63. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तोला भैसकोट से तल्ला भैसकोट तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
64. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में राया बफेता सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
65. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सेलमाली से कुरवा तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
66. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सीड़ीचामा क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
67. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लीती से नामिक सड़क व पुल निर्माण कार्य किये जाने,
68. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के तहसील धारचूला, तहसील बंगापानी, तहसील मुनस्यारी तहसील तेजम के समस्त आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि व पुनर्वास की व्यवस्था किये जाने,
69. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सामु0स्वा0 केन्द्रों में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति किये जाने,

70. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने,
71. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विद्यालयों के भवन निर्माण किये जाने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,
72. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पेयजल की सुचारु व्यवस्था किये जाने,
73. पर्यटक क्षेत्र धारचूला के पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
74. आदि कैलाश तथा ओम पर्वत जैसे आस्था के केन्द्रों हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
75. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
76. प्रसिद्ध आलू उत्पादक क्षेत्र (बंगातीफार्म) के लिए धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
77. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में माईग्रेट ग्राम क्षेत्र रालम के लिए पैदल रास्ते व पुल निर्माण किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
78. नेटवर्क से वंचित समस्त विधान सभा क्षेत्र को नेटवर्क से जोड़ने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,
79. जाराजिबली से मेतली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
80. बलुवाकोट से थौड़लेख मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
81. मुनस्यारी में पूर्ववर्ती सरकार में निर्माणाधीन मिनी टैक्सटाईल पार्क का निर्माण किये जाने,
82. मुनस्यारी में हाईट्यूट पं० नैन सिंह कालेज का निर्माण किये जाने,
83. मुनस्यारी में इंटर कालेज तथा महाविद्यालयों में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
84. तल्ला जौहार में तेजम हास्पिटल का निर्माण किये जाने,
85. तल्ला जौहार में तहसील भवन का निर्माण किये जाने,
86. तल्ला जौहार में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
87. बांसबगड़ में सामु0स्वा0 केन्द्र का निर्माण किये जाने,

88. कालिका में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,
89. धारचूला इंटर कालेज में हैलीपैड व स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
90. धारचूला राठी के सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
91. तेजम में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,
92. बांसबगड़ में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,
93. धामी गांव से बंगापानी तक सड़क निर्माण किये जाने,
94. छरमाघाटी से सेला, चल, बौना, बाऊनी, गो, मारछ, छीपू को सड़क से जोड़ने का कार्य किये जाने,
95. व्यासघाटी में रौंग-फौंग को सड़क से जोड़ने का कार्य किये जाने,
96. धार्मिक स्थल आदि कैलाष में पार्वती सरोवर और गौरीकुण्ड का सौन्दर्यीकरण का कार्य किये जाने,
97. ओम पर्वत दर्शन हेतु मार्ग निर्माण किये जाने,
98. होकरा में मंदिर स्थल सौन्दर्यीकरण का कार्य किये जाने,
99. धारचूला में गलाती से धार्मिक स्थल छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
100. स्यास्कूटी से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,
101. गलाती से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
102. कनार से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
103. जाराजिबली से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
104. खेतजम्कू से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
105. खड़तोली से श्रद्धालुओं हेतु इन उक्त समस्त गांवों में पैदल मार्ग, पेयजल की व्यवस्था एवं यात्री टिन शेड का निर्माण कार्य किये जाने,,
106. बिरथी गिरगांव, गिनी, ला झेकला, सैढ़राथी, किमखेत, बाला के समस्त श्रद्धालुओं हेतु नन्दा कुंड तक पैदल पथ, यात्री शेड एवं पेयजल की व्यवस्था का कार्य किये जाने,

- 107.सैमली, रुसपट्टा, बोरगांव, होकरा से जर्ही सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
- 108.कुलडौरी से रुसपट्टा तक तटबन्ध एवं सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
- 109.बंगापानी में तहसील भवन एवं स्टेडियम का निर्माण कार्य किये जाने,
- 110.राथी बौड़ागांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
- 111.आपदा प्रभावितों परिवार जो कि एक ही घर में कई परिवार गुजर-बसर कर रहे थे को पृथक-पृथक पुनर्वासित किये जाने,
- 112.नामिक में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किये जाने,
- 113.नामिक, मल्ला जौहार, कनार, दारमा, चौदान, व्यास, नामिक, रालम जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के समय निःशुल्क हेली सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु,
- 114.सुरिंग गाड़ और तल्ला धुम्मर में तटबंध निर्माण किये जाने,
- 115.भदेली, मदकोट, शेरा, शेराघाट, बंगापानी, घरुड़ी, मनकोट, मोरी लम्ती, चामी, जौलजीवी, घट्टा बगड़, बलुवाकोट, धारचूला, गर्बियांग, तेम, सोबला, बांसबकड़, नाचनी, रसियाबगड़, रुसपट्टा, तेजम में तटबंधों का निर्माण किये जाने,
- 116.पूर्ववर्ती सरकारों में उच्चिकृत समस्त विद्यालयों में पठन पाठन को सुचारु किये जाने,
- 117.पूर्ववर्ती सरकारों में मदकोट व तेजम में उच्चिकृत सामुदायिक केन्द्रों के सुचारु संचालन किये जाने,
- 118.बसौड़ा से खुन्नी तक सड़क निर्माण कर जोड़ने का कार्य किये जाने,
- 119.बसौड़ा से कालिका गोठी धूरा सड़क को जोड़ने का कार्य किये जाने,
- 120.दाखिम से माड़ी धामी होते हुए आलम दारमा, बंगापानी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
- 121.गौना से गोल्फा मोतीछाट सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

122.बलुवाकोट पोखरी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

123.मूर्ति नापड़ से सीढ़ी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

124.होकरा में क्रीड़ा स्थल निर्माण कार्य किये जाने,

125.सैणरांथी-किमखेत के मध्य क्रीड़ा स्थल निर्माण कार्य किये जाने,

7. श्री मनोज तिवारी,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. विधान सभा अल्मोड़ा में उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क में शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालित किया जाय,
2. अल्मोड़ा विधान सभा के लोधिया में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में कक्षाओं का संचालन किये जाने,
3. अल्मोड़ा में स्पोर्ट्स कालेज स्वीकृत किये जाने,
4. जनपद अल्मोड़ा विधान में पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से मल्ला महलर्स, कसारदेवी, बानडीदेवी, स्याही देवी रोप-वे की स्वीकृति दिये जाने,
5. अल्मोड़ा विधान सभा में इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत किये जाने,
6. अल्मोड़ा विधान सभा को नगर को हैस्टिज सिटी घोषित किये जाने,
7. अल्मोड़ा विधान सभा का विस्तार होने के कारण सिटी बस तत्काल संचालित किये जाने,
8. अल्मोड़ा विधान सभा के विकास खण्ड भैसियाछाना के रीठागाड़ में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दिये जाने,
9. अल्मोड़ा विधान सभा के बाड़ेछीना में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने,
10. अल्मोड़ा विधान सभा के विकासखण्ड लमगड़ा के ग्राम ढौरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
11. अल्मोड़ा विधान सभा के विकासखण्ड भैसियाछाना के धौलाछीना में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
12. अल्मोड़ा विधान सभा के विकास खण्ड भैसियाछाना के बाड़ेछीना में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
13. अल्मोड़ा विधान सभा के हवालबाग ब्लाक के समीप मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
14. अल्मोड़ा विधान सभा के हवालबाग क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु मिनी उद्योग का निर्माण किये जाने,

15. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त आई0टी0आई0 संस्थान को मैदान क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के साथ समन्वय करते हुए संचालित किये जाने,
16. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड भैसियाछना के बाड़ेछीना पॉलिटेक्निक नई कक्षायें संचालित किये जाने,
17. अल्मोड़ा विधान सभा के आई0टी0आई0 धौलछीना नये ट्रेड खोले जाने,
18. अल्मोड़ा विधान सभा के कसारदेवी को पर्यटन के साथ-साथ आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने,
19. अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में योग शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योग संस्थान की स्थापना किये जाने,
20. अल्मोड़ा विधान सभा उदया शंकर नाट्य आकादमी को पूर्णरूप से संचालित किये जाने,
21. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड भैसियाछना नौगांव में मिनी स्टेडियम का निर्माण,
22. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 लमगडा के हा0डोरा का उच्चीकरण,
23. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 हवालबाग के ग्राम खूट पनीर प्लाट की पूर्व स्वीकृत के अनुरूप स्वीकृत किया जाय,
24. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 हवालबाग के ग्राम खूट में डचकालीन प्रशिक्षण केन्द्र को पुनः संचालित किये जाने,
25. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के जिला प्राधिकरणों को समाप्त किया जाय।

8. श्री खुशाल सिंह अधिकारी,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

01. लोहाघाट नगर के नजुल भूमि को फ्री होल्ड किये जाने,
02. लोहाघाट में युग पुरुष स्वामी विवेकानन्द जी के नाम से मेडिकल कोलेज की स्थापना किये जाने,
03. कृषि विज्ञान केन्द्र लोहाघाट में पन्तनगर कृषि महाविद्यालय खोले जाने,
04. लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय का उच्चीकरण किये जाने,
05. लोहाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेज का उच्चीकरण कर इंजीनियरिंग कालेज बनाये जाने,

06. लोहाघाट में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने,
07. लोहाघाट के ग्राम सुतेड़ा से ग्राम जमरेड़ी कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
08. लोहाघाट के ग्राम सभा खतेड़ा व गंगनौला में पेयजल योजना का निर्माण कार्य किये जाने,
09. लोहाघाट के खुनाबोरा में पेयजल योजना बनाये जाने,
10. लोहाघाट क्षेत्र के प्रसिद्ध झूमाधुरी मन्दिर में रोपवे ट्रेली लगाये जाने,
11. लोहाघाट के चौकड़ी तोक से कोयाटी खालसा तक सड़क निर्माण किये जाने,
12. लोहाघाट के ग्राम चामी कुमालेश्वर से मन्दिर तक सड़क निर्माण
13. लोहाघाट के किमतोली रौसाल मोटर मार्ग से रुद्रमाली, पोखरी तक मोटर मार्ग सुधारीकरण किये जाने,
14. लोहाघाट के ग्राम सभा पऊ से सिमल घांघल होते हुए गला गांव तक मोटर मार्ग निर्माण
15. लोहाघाट के ग्राम पंचायत बमनकुड़ा से मौड़ा गांव तक सड़क निर्माण किये जाने,
16. बाराकोट में अतिथि विश्राम गृह का निर्माण किये जाने,
17. बाराकोट में डिग्री कालेज का निर्माण कार्य किये जाने,
18. बाराकोट के पम्दा में पेयजल योजना बनाये जाने,
19. पाटी के रीठा साहिब में डिग्री कालेज का निर्माण कार्य किये जाने,
20. पाटी के केदारथान से चमतौला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
21. पाटी के ग्राम सभा चौड़ासौन से पुनौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,
22. पाटी के ग्राम पंचायत चौड़ाकोट के थुवामौनी मुख्य सड़क से डुंगरा तोक तक सड़क निर्माण किये जाने,

23. बाराकोट के बैडा बैडवाल के तोक चमनपुर भनखोला के विस्थापन किये जाने,
24. बाराकोट के प्रसिद्ध माँ भगवती मन्दिर लडीधुरा को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने,
25. पाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध फटकशीला मन्दिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने,
26. पाटी लधियाघाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध माँ शीला देवी मन्दिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने,
27. पाटी के रीठाखाल क्षेत्र के प्रसिद्ध मन्दिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने,
28. पाटी के कानाकोट मोटर मार्ग से तल्लीलड़ी, झाडसिस्तोली छिल्काछीना मोटर मार्ग को जोड़ते हुए विकसित किये जाने,
29. पाटी के बिनवाल गाँव से कलियाधुरा छीडाखान मोटर मार्ग 24.03.2008 की स्वीकृति को यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ किये जाने,
30. पाटी के रीठासाहिब में भू कटाव को रोकने हेतु चैक डैम का निर्माण किये जाने,
31. पाटी के सिमलखेत में भू कटाव को रोकने हेतु चैक डैम का निर्माण किये जाने,
32. पाटी के धरसो लिंक रोड से भीमराडा के अधीनकर कैडाईजर तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
33. बाराकोट में ग्राम पठल्ली से जिन्डी काकड तक मोटर मार्ग को लोनि0वि0 के अधीन किये जाने,
34. पाटी के ग्राम मानर में हॉस्टिपटल तिराहे से बूंगामानर तक सड़क निर्माण किये जाने,
35. पाटी के रीठमिडार मोटर मार्ग से लिंक रोड कर्टिंग एवं सुधारीकरण कार्य किये जाने,
36. पाटी के ग्राम परेवा में तोक कापडा धौ से मूल ग्राम मन्दिर तक सड़क निर्माण किये जाने,
37. बाराकोट के तोक खलनियाँ, बन्जाबाड, अतखड़ा में मोटर मार्ग निर्माण किये जाने।

38. बाराकोट के ग्राम पंचायत तड़ीगांव में ग्राम डोबा-खाली तोक में सड़क निर्माण किये जाने,
39. पाटी के कानाकोट से तल्ली लडी अवशेष सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
40. विकास खण्ड मुख्यालय पाटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटी का उच्चीकरण किये जाने,
41. पाटी के ग्राम पंचायत चौडासौन में बिलगडा तोक में भू कटाव हेतु चेक डेम निर्माण किये जाने,
42. पाटी के ग्राम देवली से नौलिया गांव तक सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने,
43. पाटी के न्याय पंचायत चौडामेहता में पशुचिकित्सालय की स्थापना किये जाने,
44. लोहाघाट के छमनियाचौड को मिनी फिल्म सिटी के रूप में विकसित किये जाने,
45. लोहाघाट के चौखामबाबा के चमुदेवता मेले को राजकीय मेला घोषित कर पर्यटन विभाग से विकसित किये जाने।

9. श्री विक्रम सिंह नेगी,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. उत्तराखण्ड में सशक्त भू-कानून बनाने एवं मूल निवास जारी करने,
2. उत्तराखण्ड के सी0एच0सी0 अस्पतालों में सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर एवं रेडियोलॉजिस्टों की तत्काल नियुक्ति करने,
3. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों से लोगों की जान की सुरक्षा को देखते हुए तेंदुआ, गुलदार एवं जंगली सुअर को संरक्षित प्रजाति की सूची से बाहर रखने,
4. लम्बे समय से संविदा/उपनल कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा कार्यकर्त्री, भोजन माता, अतिथि शिक्षकों को राजकीय कर्मचारी घोषित करने,
5. कोरोना काल में विभिन्न अस्पतालों/नगरपालिका/नगर निकाय तथा अन्य विभागों में लगे हुए कर्मचारी जिन पर सरकार ने फूल बरसाये थे और बाद में उन्हें हटा दिया, की सेवा बहाल करने,

6. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत फिकवाल समुदाय को केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने,
7. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में स्वीकृत राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने व संचालन प्रारम्भ करने,
8. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जखिण्डा में 1100 नाली भूमि पर स्वीकृत वानिकी औद्यानिकी विश्वविद्यालय के परिसर का भवन निर्माण एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण एवं पदों का सृजन करने,
9. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत प्रतापनगर में वानिकी औद्यानिकी विश्वविद्यालय के शोध प्रसार केन्द्र एवं माली प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण एवं पदों का सृजन करने,
10. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत उत्तरद्वारिका सेम नागराजा धाम के पैदल पथ पर कैनोपी निर्माण एवं पर्यटन विकास कार्य करने के साथ सेम नागराजा धाम को उत्तराखण्ड का पांचवा धाम बनाये जाने,
11. टिहरी बांध की झील में विश्वस्तरीय पर्यटन विकास योजना में खैट पर्वत, पीडी-1, पीडी-2 के पर्यटन विकास को भी सम्मिलित करने एवं रिंग रोड का निर्माण करने,
12. टिहरी बांध झील से अतितम प्रभावित प्रतापनगर विधान सभा में झील के ऊपर स्थित ग्राम म्यूण्डा से मोटणा तक पर्यटन विकास कार्य करने,
13. प्रतापनगर विधान सभा के अन्तर्गत प्रसिद्ध खैट पर्वत एवं मणबागी सौड़ से सेम नागराजा धाम हेतु रोपवे निर्माण करने,
14. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रजाखेत, लम्बगांव, खेतुधार एवं झील के ऊपर ग्राम खाण्ड धारमण्डल में हैलीपैड निर्माण करने,
15. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के ग्राम पाचरी, पड़िया एवं सेमण्डीधार एवं खरोली के ऊपर अर्द्धनिर्मित स्टेडियमों के लिये शेष धनराशि स्वीकृत करने,
16. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के वाल्खाखाल से ठांगधार तक सड़क निर्माण करने,

17. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के गुनोगी से नैलबागी तक सड़क निर्माण करने,
18. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जीटीपी सड़क से जखिण्डा तक सड़क निर्माण के लिए शेष धनराशि का आवंटन करने,
19. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत म्यूण्डा मय लवाली सड़क के रिवाईज एस्टीमेट की स्वीकृति देने,
20. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रिण्डोल से धारकोट वाली सड़क का डामरीकरण करने,
21. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव-बिजपुर पनियाला सड़क के काण्डा-जिवाल (रावतगांव) तक सड़क निर्माण करने,
22. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मांजफ-मंदार सड़क का डामरीकरण करने,
23. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मुखमालगांव-सिलोड़ा-सौंदी सड़क निर्माण करने,
24. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खराला से धंगणगांव तक सड़क निर्माण करने,
25. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रैका से सदड़गांव तक सड़क निर्माण करने,
26. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खम्बाखाल-मुखमालगांव-सिलोड़ा सड़क निर्माण करने,
27. जगड़गांव पट्टी गमरी उत्तरकाशी से किमखेत-बिजबागी (टि0ग0) तक सड़क निर्माण करने,
28. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सौन्दगडडा से चाका-सिलोड़ा सड़क के द्वितीय चरण की स्वीकृति देने,
29. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मण्बागी सौड़ से माजेरभाल तक सड़क निर्माण करने,
30. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रत्नौगाड-क्यूलागी सड़क के किमी0 4 से बोरगांव तक मिसिंग लिंक निर्माण करने,
31. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत गोदड़ी से थौलधार तक सड़क निर्माण करने,
32. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भेंगा-गैरी-गोदड़ी से बेथाण सड़क का निर्माण करने,

33. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत काण्डा प्रतापनगर सड़क से धनागांव-खुड्डू-राजू की सारी से लाडा देवता तक सड़क निर्माण करने,
34. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत स्यान्सू पुल से बैलगांव सड़क का डामरीकरण करने,
35. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सीएचसी लम्बगांव, सीएचसी प्रतापनगर, सीएचसी छेरपरधार, सीएचसी मदननेगी एवं रजाखेत, सेमण्डीधार, काण्डीखाल एवं डोबरा अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड एक्सरे, पैथोलाजी लैब सुविधा के साथ टैक्नीशियन, स्वास्थ्य कर्मी एवं डाक्टरों की नियुक्ति करने,
36. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सभी स्कूलों एवं कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को शीघ्र भरने,
37. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव-प्रतापनगर सड़क पर स्थित जनसंख्या बाहुल्य कस्बे रमोलगांव, मांजफ, बनाली, धारकोट एवं पटुड़ी में पार्किंग का निर्माण करने,
38. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कस्तल-सिल्ला-सेमण्डीधार तक सड़क निर्माण करने,
39. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मंदार-मांजफ सड़क से देवताधार-दुगड़िया-भेगलथ तक सड़क निर्माण करने,
40. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मन्दार घोल्डाणी सड़क का डामरीकरण करने,
41. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत राइका मन्दार तक सड़क का निर्माण करने,
42. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घोल्डाणी में मोबाइल टावर का निर्माण करने
43. कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना लागू करने,
44. उत्तराखण्ड में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निजी ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्स किये गये गैंग कर्मियों को संविदा, उपनल, हैण्ड रसीद के माध्यम से सेवायोजित करने,
45. उत्तराखण्ड जल संस्थान में कार्यरत पार्ट टाइम फिटर्स का मानदेय बढ़ाने,

46. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मांजफ-मंदार, कोटालगांव-तिनवालगांव, लासी-सेम्य, चौन्दाणा-खैट सड़क का लम्बित मुआवजा भुगतान करने,
47. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय से नई टिहरी जिला मुख्यालय तक एवं ऋषिकेश डोबरा धारकोट भटवाड़ा रोडवेज बस सेवा शुरू करने,
48. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत पेयजल सुविधा हेतु स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु ठोस कार्य योजना बनाने एवं जल संरक्षण हेतु रा0इ0का0 धारकोट के ऊपर नदौड़, खैट एवं पीड़ी के बीच लवाना, खैट पर्वत धारकोट के ऊपर जगदेई पाणी, ग्राम मांजफ के ऊपर नौलाण बीट, ग्राम मंदार के ऊपर भेगलथ, ग्राम कुड़ी के ऊपर नाल्द, सेम नागराजा धाम के समीप मणबागी सौड़, ग्राम जाखणी के ऊपर खरोली सौड़, ग्राम सेलूर के अगान, ग्राम ओनालगांव एवं रौणिया के ऊपर कुजु सौड़, दिन्याली देवी, ग्राम पोखरी भदूरा के ऊपर अखोड़ी, ग्राम कोटी में तेधारिया, ग्राम ढुंग, ग्राम कंगसाली, ग्राम रिण्डोल के लोगी नामें तोक में वृहद तालाब निर्माण करने,
49. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत उपली रमोली एवं रौणद रमोली के मध्य 33 के.वी. विद्युत सब स्टेशन बनाने,
50. ढुंगमंदार पट्टी के मध्य 33 के.वी. का विद्युत सबस्टेशन बनाने,
51. उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थायी एवं संविदा कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने,
52. राष्ट्र को ऊर्जा देने वाले टिहरी बोध निर्माण हेतु अपना महान योगदान देने वाले टिहरी के पथरी में विस्थापित, जो पथरी हरिद्वार के भाग 1,2,3 व 4 में भूमिधरी से वंचित हैं उनको तुरंत भूमिधरी का अधिकार देने,
53. प्रतापनगर विधान सभा में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कारिडोर स्वीकृत करने,
54. प्रतापनगर विधान सभा में गोट वैली व कुक्कुट वैली स्थापित करने,
55. प्रतापनगर विधान सभा में बायो सीएनजी प्लांट स्वीकृत करने,

56. प्रतापनगर विधान सभा में क्लस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग शुरू करने,
57. प्रतापनगर विधान सभा में 20 अमृत सरोवरों का निर्माण करने,
58. सोलर प्लांट से निकलने वाली ऊर्जा की निकासी के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में सोलर पावर प्लांट के लिए विद्युत लाइनों का सुदृढीकरण एवं ट्रांसफार्मरों का उच्चीकरण, 33 केवी, 132 केवी, एवं 220 केवी के सबस्टेशनों का निर्माण एवं उच्चीकरण व 11 केवी एवं 33 केवी लाइनों की क्षमता वृद्धि करने,
59. चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री से केदारनाथ मार्ग पर लम्बगांव-रजाखेत-पीपलडाली सड़क पर वाटर एटीएम व वाटर प्यूरीफायर लगाने,
60. प्रतापनगर विधान सभा में लम्बगांव आई.आई.टी. भवन निर्माण की शेष धनराशि जारी करने एवं कार्य प्रारम्भ करने,
61. प्रतापनगर विधान सभा के रजाखेत आई.आई.टी. में इण्डस्ट्रीयल लिंकिज सेल स्थापित करने व ड्रोन तकनीक, सोलर, टूरिज्म, वैलनेस, मैकेनिकल, वेल्डर, कोपा, सिलाई प्रशिक्षण, मोटर मैकेनिम के ट्रेड शुरू करने,
62. प्रतापनगर विधान सभा में दिव्याली देवी, पीड़ी-1, पीड़ी-2- खैट, सेम नागराजा, चन्द्रेश्वर, गल्लेश्वर, भद्रेश्वर, सर्वेश्वर, भामेश्वर, भेलेश्वर, ओणेश्वर मन्दिर माला मिशन योजना की स्वीकृति मानसखण्ड मन्दिर मिशन की तर्ज पर करने,
63. प्रतापनगर विधान सभा में मुखेम ग्राम को संस्कृत ग्राम घोषित करने,
64. लम्बगांव बाजार में डंप कूड़ा निस्तारण की समस्या का निदान करने,
65. प्रतापनगर विधान सभा की ओण पट्टी, भदूरा पट्टी, ढुंगमंदार पट्टी एवं उपली रमोली पट्टी में मिशन ऐपल योजना स्वीकृत करने,
66. प्रतापनगर विधान सभा में प्रतापनगर व ग्राम खाण्ड को आयुष हब के रूप में विकसित करने,

67. प्रतापनगर विधान सभा में राइका गल्याखेत, राइका लम्बगांव, राइका मिश्रवाणगांव, राइका काफलपानी, राइका बेरगणी पली के जीर्ण-शीर्ण भवनों के निर्माण करने।

10. श्री मयूख सिंह महर,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. विधान सभा पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम दिगतोली से गंगोलीहाट स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा तक रोप-वे का निर्माण किये जाने,
2. पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के सौन पट्टी स्थित मड़ सौन गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किये जाने,
3. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के रावतगड़ा से हन्डू तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
4. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के सल्ला ग्राम से पंचेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
5. जनपद पिथौरागढ़ के पंचेश्वर में सरयू नदी में मोटर पुल का निर्माण किये जाने,
6. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के रामेश्वर मंदिर के समीप रामगंगा नदी में मोटर पुल का निर्माण किये जाने,
7. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में ग्राम मड़ खड़ायत से असुरचूला मंदिर तक पर्यटक ट्रैक रूप निर्माण किये जाने,
8. जनपद पिथौरागढ़ के लच्छैर स्थित मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकास किये जाने,
9. जनपद पिथौरागढ़ के अ०जा० ग्राम इंगरी से अ०जा० ग्राम उपरतोला तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
10. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अ०जा० ग्राम कीनी गाड़ से अ०जा० ग्राम उपरतोला तथा खड़कू भल्या तक सिंचाई गूल का निर्माण किये जाने,
11. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के मेलइंगरी से अ०जा० ग्राम मेलक, धरासी चमेलिया तथा उपरतोल तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
12. जनपद पिथौरागढ़ के सौन पट्टी क्षेत्र हेतु महाकाली नदी से लिपिटंग पेजयल योजना का निर्माण किये जाने,
13. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के जाजर, चिंगरी, सेल, सल्ला, सिलिंगया, कौल इत्यादि ग्रामों हेतु सरयू नदी से पेजयल योजना का निर्माण किये जाने,
14. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ शहर से दिल्ली तथा देहरादून तक वोल्चो बस सेवा का संचालन किये जाने,

15. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु सीटी बसों का संचालन किये जाने,
16. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में उ०मा०वि० विद्यालय खड़कू भल्या का इन्टरकालेज में उच्चीकरण करने,
17. जनपद पिथौरागढ़ कैम्पस कालेज में विधि कक्षाओं का संचालन करने,
18. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में रई विल झील का निर्माण किये जाने,
19. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के सैन्य क्षेत्र से जुड़े गांवों को पृथक मार्ग उपलब्ध कराये जाने
20. विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में ग्राम टकाड़ी में कपलेश्वर मंदिर में पर्यटक पार्क तथा पहुंच मार्ग का निर्माण करने।

11. श्री गोपाल सिंह राणा,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

- 1 महाराणा प्रताप रा०महा० विद्यालय नानकमत्ता हेतु भूमि एवं भवन की व्यवस्था किये जाने,
- 2 नानकमत्ता वि०स० क्षेत्र में एक मात्र विद्युत सबस्टेशन है, नानकमत्ता वि०स० क्षेत्र में एक और ग्राम लामाखेडा करोनी में सब विद्युत स्टेशन की स्थापना किये जाने,
- 3 नानक मत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
- 4 जनपद उधमसिंह नगर के नानकमत्ता वि०स० के ग्राम साधू नगर एवं सिडकुल सितारगंज के मध्य कैलाश नदी में पुल का निर्माण किये जाने,
- 5 जनपद उधमसिंह नगर के वि०सभा क्षेत्र को जन-जाति क्षेत्र विभिन्न जन-जाति ग्राम जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत ग्रामीण आन्तरिक सड़कों का निर्माण किये जाने,
- 6 नानकमत्ता वि०स० क्षेत्र के नानकमत्ता उप तहसील नानकमत्ता में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना किये जाने,
- 7 वि०सभा० क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत नानकसागर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने।

12. श्रीमती अनुपमा रावत,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार की विधानसभा क्षेत्र एवं 35- हरिद्वार ग्रामीण में एक उच्च राजकीय चिकित्सालय खोले जाने एवं जनपद हरिद्वार की विधान सभा क्षेत्र 35-हरिद्वार ग्रामीण में ग्राम भोगपुर, लालढांग पी०एच०सी० का उच्चीकरण किये जाने,

2. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के लालढांग में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा 2021 की घोषणा अनुसार सिडकुल क्षेत्र का विस्तारीकरण एवं 70 प्रतिशत स्थानीय नव जवानों को रोजगार दिये जाने,
3. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में कुम्भ क्षेत्र का विस्तारीकरण कर बड़ी सड़कों का निर्माण किया जाए एवं भोगपुर से कांगड़ी तक पुल का निर्माण किये जाने,
4. विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी पर तटबंधो का निर्माण किये जाने,
5. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण पूर्णरूप से ग्रामीण होने के कारण एक तहसील की स्थापना,
6. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में ज्यादातर क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बहुत नुकसान होता है इस हेतु बाउंड्री वाल व तारबाड़ किये जाने,
7. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण में स्ट्रीट लाईट पूर्णरूप से लगाई जाने,
8. हरिद्वार ग्रामीण में दो खेल के मैदानों का निर्माण किये जाने,
9. हरिद्वार ग्रामीण में एक कन्या महाविद्यालय खोले जाने,
10. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के लालढांग में इंटरनेट बूस्टर लगवाये जाने,
11. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में रविदास मंदिर व बाल्मिकी मंदिरों का सौन्दर्यकरण किये जाने,
12. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में बंद पड़े ट्यूबवैल संचालित किये जायें एवं नये ट्यूबवैल निर्माण किये जाने,
13. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में ओवर हेड हेतु टैंक बनाये जाने,
14. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में ट्यूबवैल व बिजली बिल माफ किये जाने,
15. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में लालढांग से कोटाद्वार तक राज्य मार्ग के तर्ज पर सड़क का चौड़ीकरण कर सड़क निर्माण किया जाये व चिल्लरखाल तक बनाये जाने,
16. लालढांग में खासन नदी पर बड़ा जलाशय का निर्माण किये जाने,
17. गन्ने का प्रति दो सप्ताह में भुगतान किया जायें एवं नये गन्ने खरीद केन्द्र खोले जाने,
18. प्रसिद्ध टिहरी बांध विस्थापित पथरी के लोगों पथरी, गैडीखता वन गज्जरो, पुरुषोत्तम नगर, कमला नगर वासियों का जमीनों का मालिकाना अधिकार दिये जाने,
19. हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम डालपुरी, ग्राम चण्डीघाट, ग्राम पथरी, गैडीखता के बनगुज्जरो के ग्राम राजस्व घोषित किये जाने,
20. ग्राम धनपुरा, घिस्सुपुरा में हाईटेंशन बिजली तार हटाये जाने,

21. ग्राम जमालपुर कला में बसी समस्त कालोनी में नाली निर्माण स्थापित किये जाने,
22. हरिद्वार ग्रामीण के प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह हेतु सरस भवन बनाये जाने,
23. हरिद्वार ग्रामीण में इच्छुक ग्रामों से प्रस्ताव लेकर ओपन जिम की स्थापना किये जाने,
24. ग्राम कांगड़ी के गंगा तट पर तटबन्ध का निर्माण कार्य,
25. ग्राम मीठीबंदी से ग्राम ढढियानवाला तक नदी का कटाव रोकने हेतु आर०सी०सी० दिवार निर्माण कार्य,
26. ग्राम इक्कड़ कलां से ग्राम इब्राहीमपुर होते हुए ग्राम अलीपुर तक इन्टर लॉकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य (लगभग ०९ कि०मी०),
27. न्याय पंचायत लालढांग से मीठीबंदी, पीली पड़ाव, खोखरा होते हुए बाहरपीली, श्यामपुर, कांगड़ी एवं गाजीवाली तक इन्टर लॉकिंग टाईल्स सड़क निर्माण कार्य (लगभग ०९ कि०मी०),
28. ग्राम रानी माजरा में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने,
29. हरिद्वार ग्रामीण के लालढांग में सन् २०१५ में स्थापित आई०टी०आई० को पुनः स्थापित करने,
30. ग्राम फेरुपुर में पशु चिकित्सालय स्थापित करने,
31. जिला हरिद्वार डिविजन में बन गुज्जर को लोपिंग परमिट दिलाने हेतु एवं हरिद्वार डिविजन के अन्तर्गत वनों में निवासस्थ थे, प्रत्येक परिवारों का सम्मुचित पुर्नवास।

13. श्री फुरकान अहमद,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर में पुरानी गंगनहर के पुल जो क्षतिग्रस्त है, उसको मरम्मत कराकर ठीक कराये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के पाउली गुज्जर तेलीवाला के पास रेलवे पुल का निर्माण कराये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर विधान सभा या मेहवड में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
4. जनपद हरिद्वार के पिरानकलियर नगरपंचायत में पानी की टंकी व पाईप लाईन का निर्माण कराये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के रामपुर व पाउली गुज्जर तेलीवाला योजना के अन्तर्गत पेयजल का टैंक व पाईप लाईन व सीवर का सीवर का निर्माण किये जाने,

6. प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ किये जाने,
7. प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार पिरान कलियर विधान सभा में हलवेड़ी तिराहे के सामने से रुड़की बाईपास हरिद्वार रोड़ पर रतमवउ नदी पर सड़क एवं सेतु का निर्माण किये जाने,
9. जनपद हरिद्वार के पिरानकलियर विधान सभा में हकीमपुर तुरी से पुहाना ईकबालपुर की ओर सौलानी नदी पर सेतु एवं सड़क एवं सेतु का द्वितीय निर्माण का शासनादेश जारी किया जाय,
10. मदरसा बोर्ड से प्राप्त मदरसे को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने,
11. जनपद हरिद्वार पिरान कलियर शरीफ को पांचवे धाम के रूप में घोषित किये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पिरान कलियर में सीवर लाईन बनाये जाने,
13. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर शरीफ के वासिक मेले को सरकारी मेले घोषित किये जाने,
14. राज्य के सभी मुस्लिम एवं ईसाइयों के कब्रिस्तान व शमशान घाट की चारदीवारी का निर्माण किये जाने,
15. जनपद हरिद्वार के नदियों जैसे सौलानी नदी, रतमवउ आदी नदियों के किनारे पैचिंग, तटबन्ध निर्माण किये जाने,
16. जनपद हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध पिरानकलियर में बंद पड़ी नहर धनौरी से रुड़की तक नौका विहार एवं कृत्रिम झील का निर्माण किये जाने,
17. जनपद हरिद्वार रुड़की में अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किये जाने,
18. विधान सभा पिरान कलियर व पिरान कलियर नगर पंचायत की बिजली कटौती बंद किये जाने,
19. पिरान कलियर विधान सभा के सभी गाँवों में पानी की टंकी व टैंक निर्माण कराये जाने,
20. पिरान कलियर विधान सभा में 1000 नये हैण्ड पम्प लगाये जाने,
21. किसानों के गन्ने के मूल्य रु0 500 प्रति कुन्तल किये जाने,

22. पिरानकलियर विधान सभा के मगरुमपुर-मुस्तफाबाद में पालिटैक्निक खोले जाने,
23. पिरान कलियर विधान सभा भारापुर में बिजलीघर बनाये जाने,
24. पिरान कलियर नगर पंचायत में डिग्री कालेज खोले जाने,
25. पिरान कलियर विधान सभा ईमलीखेड़ा में रा0क0इ0कालेज खोले जाने,
26. पिरान कलियर विधान सभा के राज्य योजना के लम्बित पड़े सभी मामलों में शीघ्र शासनादेश जारी किये जाने,
27. रुड़की तहसील को जिला घोषित किये जाने,
28. जनपद हरिद्वार व प्रदेश के सभी जिलों में टुवैल में बिजली फ्री दिये जाने,
29. घरेलू बिजली कनेक्शन में सरचार्ज माफ किया जाय एवं बिजली के रेट कम किये जाने,
30. रुड़की रोड नहर किनारे से मुर्दघाट से होते हुए सोनाली नदी के किनारे पुल तक मोहम्मद पाण्डा व रामपुर एतमाल तक सड़क का निर्माण कार्य किये जाने,
31. जी0टी0 रोड कोर कालेज से भारापुर से होते हुए शेखपुरी तक सड़क का निर्माण व रतमउ नदी पर रपटा का निर्माण कराये जाने,
32. दरियापुर से नागल पलुनी तक सड़क का निर्माण किये जाने,
33. पिरान कलियर नगर पंचायत का सौंदर्यीकरण किये जाने,
34. गुलाब शाह पीर राजकीय कन्या इन्टर कालेज के निर्माण के लिए बजट जारी किये जाने,
35. रामपुर पंचायत में बिजली घर बनाये जाने,
36. पाडली गुज्जर में राजकीय इन्टर कालेज स्वीकृत किये जाने,
37. हरिद्वार रुड़की रोड कोर कालेज के सामने से पिरान कलियर तक सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
38. मदरसों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ते हुए उनका आधुनिकरण किया जाय। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के प्रमाण पत्रों को अन्य बोर्डों के समान समकक्षता प्रदान किये जाने,
39. उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में निःशुल्क जूता एवं बैग उपलब्ध कराये जाने,
40. उर्दू शिक्षकों की भर्ती की जाय।

41. प्रदेश में बढ़ती मंहगाई एवं बेरोजगारी को रोकने के लिए ठोस योजना बनाये जाने,
42. जनपद हरिद्वार रुड़की पिरान कलियर व धनौरी व रुड़की तक लाईट लगाने का कार्य किये जाने,
43. जनपद हरिद्वार में कोर कालेज से पिरान कलियर व बेडपुर चोक तक लाईट लगाने का कार्य किये जाने,
44. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के मुर्कपुर से बेडपुर रोड से धनौरी की ओर नाला का निर्माण कार्य किये जाने,
45. पिरान कलियर नगर पंचायत में अन्य स्थानों पर जल निकासी का कार्य व नाला निर्माण कार्य किये जाने,
46. जनपद हरिद्वार में पिरान कलियर से बेडपुर चौराहे तक मेन रोड का चौड़ीकरण एवं डिवाइडर का निर्माण कार्य किये जाने,
47. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर में बस स्टेन्ड का निर्माण कार्य किये जाने,
48. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर में पार्किंग का निर्माण कार्य किये जाने,
49. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के रामपुर नगर पंचायत में सीवर लाईन निर्माण का कार्य,
50. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के ईमली खेड़ा नगर पंचायत में सीवर लाईन निर्माण का कार्य,
51. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के पाडली गुज्जर नगर पंचायत में सीवर लाईन का निर्माण कार्य,
52. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर में स्वीकृत युनानी मेडिकल कॉलेज के लिए बजट जारी धरातल पर कार्य शुरू कराये जाने,
53. विधानसभा पिरान कलियर में दरगाह शरीफ का सौन्दर्यीकरण किये जाने।

14. श्री सुमित हृदयेश,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. हल्द्वानी को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिये तथा पर्यटन व रोजगार स्थापित हों इसके लिये पूर्व में स्व० डा० इन्दिरा हृदयेश जी द्वारा स्वीकृत अंतराज्यीय बस अड्डे व अंतराष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर का कार्य पुनः आरम्भ कराने साथ ही राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने, जिससे कि यहां की युवा प्रतिभाओं को परोक्ष व अपरोक्ष रूप से आगे बढ़ने का

- मौका मिल सके तथा आयोजनों के माध्यम से रोजगार के अवसर दिये जाने,
2. स्मैक मुक्त हल्द्वानी पर युद्धस्तरीय कार्य किये जाने,
 3. स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क जांच एवं बहुउद्देशीय कैम्प लगाये जाने।
 4. नजुल नीति के क्रियान्वयन का सरलीकरण किये जाने, जिससे कि आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके,
 5. सुशीला तिवारी अस्पताल को एम्स की तर्ज पर उच्चीकृत कराने तथा अस्पताल के समीप तीमारदारों व रोगियों के लिये विश्रामालय का निर्माण कराये जाने,
 6. हल्द्वानी की यातायात व्यवस्था का सुव्यवस्थित करने के लिये तथा जाम से निजात पाने के लिये धरातलीय योजना का निर्माण कराये जाने,
 7. तहसील परिसर में बहुउद्देशीय भवन, जिसमें तहसील, ट्रेजरी एवं अन्य सरकारी दफ्तरों की स्थापना तथा व्यवसायिक भवन व अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराये जाने,
 8. बाजार क्षेत्र में मातृ शक्ति एवं व्यापारियों की सुविधा के लिये अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित (हाईटैक) शौचालय एवं छोटी पार्किंगों की व्यवस्था कराये जाने,
 9. बरसाती नाले से जान-माल की सुरक्षा हेतु उचित कार्य कराये जाने,
 10. बेरोजगारों तथा कर्मचारियों/आउटसोर्स की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने,
 11. सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता के लिये विद्यालय भवनों का सुदृढीकरण करने तथा रोजगारपरक शिक्षा प्रदान कराने महाविद्यालयों में कैम्पस इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने,
 12. दमुवाढूंगा वासियों की भूमि का नियमित कर एवं श्रमिक एवं मलिन बस्तियों- काठगोदाम, राजेन्द्र नगर, आजाद नगर का मालिकाना हक एवं इन बस्तियों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा विद्यालयों का उच्चीकरण कराये जाने,
 13. भवननिर्माण की दरों को सस्ता करने के लिए गौला से निकलने वाले खनिज की रायल्टी को न्यूनतम दर तक लाने, जिससे कि गौला से जुड़े कारोबारियों को भी व्यवसाय करने में सुविधा मिल सके।

15. श्री विरेन्द्र कुमार,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. महंगाई कम करने हेतु डीजल, पेट्रोल पर तय कर कम किये जाने,
2. प्रदेश में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार देना सुनिश्चित करने,
3. अनु0जाति/अनु0जनजाति/ओ0बी0सी0 की सरकारी सेवाओं में बैकलाग की पूर्ति सुनिश्चित करने,
4. सम्पूर्ण राज्य में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति किये जाने,
5. प्रदेश में पंजाबी, गढ़वाली, कुमाऊनी, उर्दू, संस्कृत इत्यादि भाषाओं की पृथक-पृथक एकेडमी का गठन किया जाने,
6. प्रदेश के सभी बेरोजगारों को यथाशीघ्र योग्यतानुसार रोजगार दिया जाने,
7. प्रदेश के सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देना सुनिश्चित करने,
8. प्रदेश के कैंसर से ग्रस्त सभी मरीजों का राज्य सरकार द्वारा मुफ्त ईलाज किये जाने,
9. झबरेड़ा विधान सभा में सुचारु विद्युत वितरण हेतु बिजली घरों का आधुनिक रूप से उच्चीकरण किये जाने,
10. झबरेड़ा विधान सभा में गरीब बच्चों हेतु उच्चीकृत आवासीय विद्यालय बनाये जाने,
11. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र कृष्णानगर में जल निकासी सुनिश्चित किये जाने,
12. झबरेड़ा विधान सभा में गन्ना शोध केन्द्र बनाया जाना सुनिश्चित किये जाने,
13. गन्ना किसानों के बकाया भुगतान दिलवाने सुनिश्चित किये जाने,
14. इकबालपुर फाटक पर ओबरब्रिज बनवाना सुनिश्चित किये जाने,
15. प्रदेश के किसानों को यूरिया व अन्य उर्वरक सामाग्री प्रदान किये जाने,
16. इकबालपुर से खेताखेडी कमेलपुर रुड़की मार्ग का चौड़ीकरण व नव निर्माण कराये जाने,

17. झबरेड़ा विधान सभा में रोड़वेज बसों का संचालन सुचारु किये जाने,
18. झबरेड़ा विधान सभा के कस्बा झबरेड़ा में मिनी स्टेडियम व पन्याला में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,
19. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत झबरेड़ा में रोड़वेज बस अड्डा बनाये जाने,
20. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बन्दरों के प्रकोप से जनता को हो रही परेशानियों के लिए उपाय किये जाने,
21. प्रदेश के वनों में आग लगने से रोकने हेतु प्रभावी एवं ठोस कदम उठाये जाने,
22. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत अस्पतालों का उच्चीकरण किये जाने,
23. विधान सभा झबरेड़ा में राजकीय तकनीकी महाविद्यालय बनवाये जाने,
24. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को पूर्ण कराये जाने,
25. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यायामशाला खुलवाये जाने,
26. झबरेड़ा विधान सभा की सभी खराब मोटर मार्गों का डामरीकरण एवं नवीनीकरण करवाये जाने,
27. झबरेड़ा विधान सभा ग्राम सालियर में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना कराया जाना,
28. झबरेड़ा विधान सभा ग्राम भगतवाली के निकट मानकपुर चौराहा झबरेड़ा में बाबा साहेब डा० बी०आर० अम्बेडकर जी की विशालकाय प्रतिमा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत लगाया जाना,
29. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना कराया जाना,
30. झबरेड़ा विधान सभा में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत घोषित ग्राम लखनौला में तहसील की स्थापना की जायेगी,

31. उत्तराखण्ड प्रदेश में पर्वतीय व मैदानी जिलों में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी में समानता करना,
32. झबरेडा विधान सभा के अन्तर्गत गौवंश संरक्षण के लिए गउशाला खोले जाने की व्यवस्था किये जाने।

16. इंजी० रवि बहादुर,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा में कोई भी सरकारी बैंक नहीं है सरकारी बैंकों को खोले जाने,
2. ज्वालापुर विधान सभा में सरकारी डिग्री कालेज का निर्माण किये जाने,
3. ज्वालापुर विधान सभा के समस्त क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य किये जाने,
4. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के नदियों में होने वाले कटान को रोकने के लिए तटबन्ध का निर्माण कार्य किये जाने,
5. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण कार्य किया जाय एवं नए स्कूल खोले जाय, सैकेण्डी प्राइमरी स्कूलों का उच्चीकरण किये जाने,
6. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पानी की टंकियों को निर्माण किये जाने,
7. ज्वालापुर विधान सभा में अधिकतम आबादी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से लगते हुए गांवों में सोलर लाईट की व्यवस्था किये जाने,
8. ज्वालापुर विधान सभा के समस्त क्षेत्र में जल निकासी के लिए नालों का निर्माण किये जाने,
9. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के किसानों और मजदूरों को 1977 में श्रेणी तीन के पट्टे आवंटित हुए थे जिसको संकरमणी किए जाने,
10. ज्वालापुर विधान सभा में जल जीवन मिशन द्वारा पानी की लाइन डालते हुए सभी मार्ग टूट चुके हैं, उनकी मरम्मत की जाय,

- 11 ज्वालापुर विधान सभा में परिवहन निगम द्वारा समस्त विधान सभा में बसे चलाये जाने,
- 12 ज्वालापुर विधान सभा में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसल नष्ट हो रही है उसमें किसानों की खेतों में फैंसिंग इलेक्ट्रिसिटी कराये जाने,
- 13 ज्वालापुर विधान सभा के गाँव हद्दीवाला में सावित्री बाई फुले चौक का निर्माण किये जाने,
- 14 ज्वालापुर विधान सभा के गाँव तेलपुरा में चौक पर महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना,
- 15 ज्वालापुर विधान सभा के गाँव पितपुर में चौक में अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना,
- 16 ज्वालापुर विधान सभा के गाँव खेडी शिकोहपुर में अब्दुल कलाम की मूर्ति स्थापना,
- 17 ज्वालापुर विधान सभा के गाँव रोहालकी में चौक पर महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना,
- 18 ज्वालापुर विधान सभा के प्रत्येक गाँव में बच्चों के खेलने के लिए एक मिनी स्टेडियम बनाया जाय,
- 19 ज्वालापुर विधान सभा के गाँव गढमीरपुर, गाँव जसवावाला, तेलीवाला, सहदेवपुर, नगलापुर, खेडी शिकोहपुर, इम्ब्राहिमपुर में रिंग रोड बनवाया जाय।

17. मौ० शहजाद,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. ग्राम लादपुर-शिकारपुर के क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण का उल्लेख नहीं है,
2. आपदा सेसोनाली नदी के टूटे तटबन्धों के मरम्मत का उल्लेख नहीं है,

3. सोनाली नदी की सफाई-खुदाई का उल्लेख नहीं है,
4. पथरी नदी की सफाई-खुदाई का उल्लेख नहीं है,
5. हडवाहे नदी की सफाई-खुदाई का उल्लेख नहीं है,
6. आपदाग्रस्त दैनिक मजदूरों को आर्थिक सहायता दिये जाने का उल्लेख नहीं है,
7. आपदाग्रस्त किसानों के बिजली बिल व अन्य ऋण माफ किए जाने का उल्लेख नहीं है,
8. आपदाग्रस्त क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण का उल्लेख नहीं है,
9. मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा औचित्यपूर्ण मांगे गये 10 कार्य का उल्लेख नहीं है,
10. ग्राम नेहन्दपुर में मिनी स्टेडियम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है,
11. ग्राम बहादुरपुर के पास रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने का उल्लेख नहीं है,
12. नगर पंचायत सुल्तानपुर में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है,
13. नगर पंचायत सुल्तानपुर में सरकारी चिकित्सालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है,
14. नगर पंचायत सुल्तानपुर में सरकारी पशुचिकित्सालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है,
15. नगर पंचायत सुल्तानपुर में बाई पास का उल्लेख नहीं है,
16. ग्राम भिक्कमपुर में डिग्री कालेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है,
17. ग्राम खडन्जा कुतुबपुर में इण्टर कालेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है,

18. ग्राम रामपुरराय घटी में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है,
19. ग्राम लादपुर-जैनपुर में इण्टर कालेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है,
20. लक्सर में ट्रामा सेन्टर खोले जाने का उल्लेख नहीं है,
21. अनुसूचित उपयोजना एस0सी0पी0 मेंचयनित ग्रामों के विकास का उल्लेख नहीं है,
22. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास का उल्लेख नहीं है,
23. खनन प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण का उल्लेख नहीं है,
24. ग्राम रणजीतपुर में डूब क्षेत्र में तब्दील हो रही कृषि भूमि की सुरक्षा का उल्लेख नहीं है,
25. गंगा नदी से कृषि भूमि में आये जल की निकासी हेतु चैनल गेट लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।

18. श्री संजय डोभाल,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. हनुमान चट्टी से निसणी तक सड़क निर्माण स्वीकृत किये जाने,
2. गढ़वाल गाढ़ से कोट तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
3. ग्राम सभा नन्दगांव से हरिजनबस्ती होते हुए धार तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
4. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में मुख्य रोड से गोरुड़ गांव तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
5. ग्राम सभा भन्साड़ी रोड से गुर्मसु तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
6. ग्राम सभा कुर्सिल से फूलधार तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
7. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में मुख्य रोड से धारकोट बट्टा तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
8. कुपड़ा रोड से त्रिखली गांव तक सड़क स्वीकृत किये जाने,

9. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ मुख्य रोड से बड़ेथी बन चौरा मोटर मार्ग से मोरगी गांव तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
10. पोण्टी मोल्टा रोड से ग्राम सभा पोण्टी तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
11. राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम सभा बाडिया तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
12. ग्राम पाली में रुददी खड्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
13. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के पुजारगांव बगोड़ी तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
14. राजकीय इंटर कालेज कुथनौर में इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग के पद स्वीकृत किये जाने,
15. जनपद उत्तराकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़कोट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्यालीसौड़ में महिला रोग विशेषज्ञा की नियुक्ति किये जाने,
16. जनपद उत्तराकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के सरुताल, सतुड़ीबाकरीताल, भुजेलाकुण्ड का बुग्याल, फाचकण्डी बुग्याल टिहरी बांध परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने,
17. चार धाम यात्रा के दौरान यात्रा को सुरक्षित करने श्रद्धालुओं को सभित रह की व्यवस्था उपलब्ध कराने और प्रदेश की आर्थिकी बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
18. जो जल श्रोत सूख चुके हैं उनको रीचार्ज करने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
19. आपदा के दौरान जिनकी परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको उचित मुआवजा दिये जाने,

20. प्रदेश में कृषि उपज को बढ़ाये जाने एवं किसानों की आय को दोगुना किये जाने हेतु नई कृषि नीति बनाये जाने,
21. जनपद उत्तरकाशी विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों को पुनः निर्माण किये जाने,
22. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में मुख्य रोड सेनेरीदिकोली तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
23. विकास खण्ड डुण्डा के ब्रह्मखाल में उप तहसील की स्थापना किये जाने,

19. श्री उमेश कुमार,

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

- 1 प्रदेश में कार्यरत राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने,
- 2 हरिद्वार में बनाये जा रहे कारिडोर पर तत्काल रोक लगाते हुए डी0पी0आर बनाते समय जनप्रतिनिधियों व व्यपारियों की राय लिये जाने,
- 3 ढंडेरा, लंढौरा, मिलापनगर व मोहनपुरा मे पानी की निकासी का समाधान किये जाने,
- 4 पुलिस कार्मिको के पौष्टिक आहार भत्ते के मूल्य में वृद्धि की जाये।
- 5 दुर्गा कालोनी, भगेड़ी, जलालपुर आदि में लगभग 30000 की आबादी आर्मी का गेट होने व समय पर न खुलने से दिन रात प्रभावित रहती है। तत्काल रास्ता खुलवाये जाने,
- 6 किसान आयोग का गठन किये जाने,
- 7 किसानों के गन्ने के मूल्य में 500 रुपये प्रति कुन्तल की वृद्धि किये जाने,
- 8 उत्तर-प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखण्ड के किसानों को बिजली मुफ्त दिये जाने,
- 9 आपदा में हुए नुकसान से किसानों के फरवरी से दिसंबर तक के बिजली के बिल माफ किये जाने,
- 10 बहादुरपुर खादर के रेलवे क्रांसिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने,
- 11 खानपुर विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों का उच्चीकरण किये जाने,
- 12 खानपुर विधानसभा क्षेत्र के खानपुर से दल्लावाला मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने,

- 13 इकबालपुर शुगर मिल के किसानों का गन्ने का पूरा ना बकाया भुगतान शीघ्र किये जाने,
- 14 प्रदेश के जनपद हरिद्वार में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
- 15 उपनल कर्मचारियों को समान कार्य एवं समान वेतन व नियमितीकरण किये जाने,
- 16 आंगनबाडी कार्यकर्ती/सेविका/मिनी कर्मचारियों के मानदेय में बढोतरी किये जाने,
- 17 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लक्सर में सभी विषय के अध्ययन को जोड़े जाने,
- 18 जनपद हरिद्वार के समस्त ब्लाकों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुष लगाने के लिए वर्ष 2017 से आतिथि तक जिलाधिकारी हरिद्वार की निगरानी में समिति गठित कर जांच किये जाने,
- 19 राज्य में विधवा/वृद्धा/दिव्यांग पेंशन की प्रतिमाह आय को 1500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह कर दिये जाने,
- 20 खानपुर विधानसभा क्षेत्र में रविदास मंदिर एवं वाल्मीकि मंदिर का सौन्दर्यकरण किये जाने,
- 21 खानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण कार्य किये जाने,
- 22 पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा के लिये आवास व कोई बीमा योजना शुरू किये जाने,
- 23 भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग का पुनर्गठन एवं सेवा नियमावली बनाये जाने,
- 24 टिहरी विस्थापितों के बिजली के बिल माफ किये जाने,
- 25 ढंडरा में हाई स्कूल को इण्टरमीडियट किये जाने।